



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239024
CG-DL-E-23092022-239024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4228]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30 1944

No. 4228]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4412(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में निर्धारित किया जाना है के कि.मी. 0 से कि.मी.15 (ADM,शामली) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13 अक्टूबर 2021 " को "हिंदुस्तान टाइम्स " और "अमर उजाला " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में निर्धारित किया जाना है कि.मी. 0 से कि.मी.15 (ADM,शामली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: शामली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शामली				
	गांव का नाम: अब्दुल्लापुर उर्फ मोरमजरा				
1	284	सरकारी	चकमार्ग	0.039	राज्य सरकार (284)
	गांव का नाम: ओरंगाबाद उर्फ गंदेवड़ा				
2	264	सरकारी	नाली	0.01	राज्य सरकार (264)
3	592	सरकारी	नाली	0.026	राज्य सरकार (592)
4	593	सरकारी	चकमार्ग	0.039	राज्य सरकार (593)
5	629	सरकारी	नाली	0.01	राज्य सरकार (629)
	गांव का नाम: मनट मांटी				
6	1659	सरकारी	सडक	0.0135	राज्य सरकार (1659)
7	505	सरकारी	सडक	0.01	राज्य सरकार (505)
			कुल	0.1475	

[फा. सं. 16002/NHAI/PIU/AMB/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4412(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of No Yet to be Assigned on the stretch of land from Km 0 to Km 15 (ADM,Shamli) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “HINDUSTAN TIMES” and “AMAR UJALA” both dated 13 OCTOBER 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SHAMLI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shamli				
	Village: Abdullapur Urf Mor Majra				
1	284	Government	Chakmarg	0.039	State Government 284
	Village: Aurangabad Urf Gandwada				
2	264	Government	Nali	0.01	State Government 264
3	592	Government	Nali	0.026	State Government 592

4	593	Government	Chakmarg	0.039	State Government 593
5	629	Government	Nali	0.01	State Government 629
Village: Manat Manti					
6	1659	Government	Sadak	0.0135	State Government 1659
7	505	Government	Sadak	0.01	State Government 505
			TOTAL	0.1475	

[F. No. 16002/NHAI/PIU/AMB/3D]

RAJESH GUPTA, Director